

झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचदश (बजट) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनाएँ झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 31.01.2019 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र०स०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री चम्पाई सोरेन स०वि०स० श्री कुणाल षड्गी स०वि०स० श्री नलिन सोरेन स०वि०स०	<p>राज्य सरकार की सेवा में प्रोब्लम हेतु 64% अनारक्षित रिक्तियों पर महाधिवक्ता के परामर्श एवं भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग द्वारा Roster- Post-based implementation of the supreme court Judgment in the case of Shri R.K. Sabharwal V/S State of Punjab के संदर्भ में निर्गत (G.I. Dept of Posts Gir.Lr No. 14-02-2001-SCT, Dated 20-02-2002) स्पष्टीकरण के बावजूद अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को वरीयता के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति न देकर इनसे वरीयता में कनिय सामान्य जाति के कर्मचारियों/पदाधिकारियों को प्रोब्लम दी जा रही है। सामान्य जाति के कर्मचारियों की प्रोब्लम में 64% आरक्षण देने का कार्य है।</p> <p>इसका ताजा उदाहरण जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रौची की अधिसूचना संख्या 3163 से 3182/दिनांक- 25.09.2018 है। इस अधिसूचना द्वारा अनुसूचित जाति के 35 वरीय सहायक अभियंता-</p>	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

01.	02.	03.	04.
		<p>(वरीयता क्रमांक 860 से वरीयता क्रमांक 887) को छोड़ कर उनसे वरीयता में कनिय 20 सहायक अभियंताओं को कार्यपालक अभियंता के पद पर प्रोन्नति दे दी गई है। इस तरह की प्रोन्नति राज्य सरकार के अन्य विभागों में भी दिया जा रहा है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक- 4990, दिनांक- 05.07.2018 द्वारा प्रोन्नति के मामले में आरक्षण की सुविधा के संबंध में सभी विभागों/प्राधिकारों को दिशा निर्देश दिया गया है, परन्तु इस विषय पर ध्यान देने योग्य बात है कि प्रोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मियों को प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है।</p> <p>अतः सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करना चाहते हैं कि राज्य सेवा के आरक्षित श्रेणी के कर्मियों को वरीयता के आधार पर पदोन्नति में आरक्षण का लाभ अविलम्ब दिया जाय।</p>	
02-	<p>श्री केदार हंजरा सर्वियोसो श्री योगेश्वर महातो सर्वियोसो</p> <p>गिरिडीह जिलान्वर्गत देवरी प्रखण्ड के पंचायत भेलवा घाटी के खाता संख्या-5, प्लॉट संख्या-क्रमांक: 2, 5, 424, 476, 81, 880, 411, 901, 859, 848, 806, 608, 899, 768 रकबा कुल 413 एकड़ में वन भूमि की जमीन माफियाओं ने जंगल को नष्ट करके जमीन का अधीग्रहण कर लिया है। इसकी जाँच तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा अवैध कर्टाई जंगल की पुष्टि भी की गई है। लेकिन वन विभाग गिरिडीह के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से माफियाओं पर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया है। स्थानीय जनता द्वारा इस सम्बन्ध में आपत्ति करने पर माओवादियों द्वारा हत्या भी करा दी जाती है।</p> <p>अतः सरकार से कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, गिरिडीह की वाद संख्या-999/2012 में किये गए जाँच पर अभियुक्तों को अविलम्ब गिरफ्तार कर वनभूमि को मुक्त कराते हुए वन रोपण कार्य कराने की मांग करते हैं।</p>	<p>वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन</p>	

01.	02.	03.	04.
03-	श्री राम कुमार पाहन स०वि०स० डॉ० जीतू चरण राम स०वि०स० प्रो० जय प्रकाश वर्मा	<p>राँची जिलान्तर्गत नामकोम प्रखण्ड के टाटा रोड राईसा मोइ से हवांगहातु, ककड़ा, उलातु, कोलाद, बन्धुवा होते हुए चंचल दाग तक लगभग 10 कि०मी० सड़क की स्थिति अत्यंत जर्जर है। उक्त पथ खूंटी रोड एवं टाटा रोड को जोड़ती है तथा मुख्य पथ जाम रहने से उक्त पथ से वाहनों को आवागमन होता है। सड़क जर्जर रहने के कारण आमजनों को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।</p> <p>अतएव आपसे आग्रह है कि खूंटी रोड एवं टाटा रोड को जोड़ने वाली उक्त सड़क का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग से कराने हेतु सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हैं।</p>	ग्रामीण विकास
04-	श्रीमती सीता सोरेन स०वि०स० श्रीमती जोबा मांझी स०वि०स०	<p>अनुसूचित जनजातीय बालक आवासीय मध्य विद्यालय लखनपुर अवस्थित धोबा रामगढ़ (जोगिया) दुमका में नवंबर 2018 से बिजली कनेक्सन काट दिया गया है जिससे उक्त विद्यालय में नामांकित 104 बच्चों का पठन-पाठन कार्य अधर में लटका हुआ है एवं इस आधुनिक युग में भी उक्त बच्चों को फ़िक्री एवं लालटेन का सहारा लेना पड़ रहा है।</p> <p>अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं कि उक्त विद्यालय में जल्द से जल्द बिजली मुहैया करायी जाय।</p>	उर्जा
05-	श्री जगरनाथ महतो स०वि०स०	<p>बोकारो जिलान्तर्गत नावाडीह प्रखण्ड के मुंगो आर०ई०ओ०० रोड से चपरी तक की सड़क अतिजर्जर हो चुकी है जिससे आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी होती है।</p> <p>अतः जनहित में अवलिम्ब रोड मरम्मति का कार्य कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।</p>	ग्रामीण विकास

राँची,
दिनांक- 31 जनवरी, 2019 ई०।

महेन्द्र प्रसाद,
सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

-::4::-

ज्ञाप सं0-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-.....।०४।...वि० स०, राँची, दिनांक- ३०/०१/१९

प्रति:- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग एवं ऊर्जा विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अभियान ३०/०१/१९)
(एस० शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या० एवं अना०प्र०-०१/२०१९-.....।०४।...वि० स०, राँची, दिनांक- ३०/०१/१९

प्रति:- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

(अभियान ३०/०१/१९)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

(अभियान ३०/०१/१९)